



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru


Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Master of Arts (Psychology)				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Dr. S. Rupendra Rao	Assistant Professor	Ph.D.	rupendrrao@gmail.com 8817956122
2.	Dr. Krishna	Assistant Professor	Ph.D	krishna.sharma710@gmail.com 7052029861
3.	Dr. Ankita Deshmukh	Assistant Professor	Ph.D	adeshmukh.2108@gmail.com 8839903623


REGISTRAR
 Pt. Sundarlal Sharma (Open)
 University Chhattisgarh
 BILASPUR (C.G.)


Regional Director
Regional Director
 Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
 Chhattisgarh, Bilaspur



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644 फ़ैक्स 424329, 213073

Web site : www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्र. 2563/ प्रशा./स्था./16,

बिलासपुर, दिनांक 15/03/2016

// आदेश //

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के-आधार पर एवम् विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 49 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 06 में लिये गये निर्णय के अनुसार डॉ. साधनाला रूपेन्द्र राव पिता श्री एस. शेषगिरी राव को अनारक्षित वर्ग में विषय मनोविज्ञान (अनुप्रयुक्त) सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रू. 15,600-39,100+6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी -

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रू. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।
- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

PSSOU/Adm/

REGISTRAR
Pt. Sunder Lal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

R. S. Sharma

क्रमशः - 02

//02//

- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानान्तरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

R. W. Sharma

(डॉ. राजकुमार सचदेव)

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 15/03/2016

पृ.क्र. 2569 / प्रशा./स्था./16,

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. साधनाला रूपेन्द्र राव, रेल्वे अंडर ब्रिज के पास, तारबाहर, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

R. W. Sharma

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.3226/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रति,

डॉ. कृष्णा


विषय- मनोविज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संचालन की अनुमति मिलने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्र.3227/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 3224/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रति,

डॉ. अंकिता देशमुख

विषय- मनोविज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संचालन की अनुमति मिलने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्र 3225/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 24/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव